मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल.

अधिसूचना

क्रमांक डी–15–5/2000/14–3 — भोपाल, दिनांक 4/4/2003.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र0–24 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त धारा के प्रयोजन के लिये पूर्व की अधिसूचना क्र डी–15–5/2000/14–3 दिनांक 30/10/2002 को अतिष्ठित करते हुए प्रदेश की समस्त मंडी समितियों द्वारा म0प्र0 राज्य विपणन विकास निधि में देय राशि निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

अनुसूची एक

क्र0	मंडी समिति	मंडी फीस का प्रतिशत जो (किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि) में देय है :–
1	म0प्र0 की समस्त मंडी समितियों	पचास प्रतिशत

एवं
उपरोक्त के अतिरिक्त

अनुसूची दो

क्र0	मंडी समिति	सकल प्राप्तियों (अनुज्ञप्ति फीस, पचास प्रतिशत मंडी फीस) का प्रतिशत जो "बोर्ड निधि" में देय है :–
1	ऐसी मंडी समितियां, जिनकी अनुज्ञप्ति फीस, एवं पचास प्रतिशत मंडी फीस से वार्षिक सकल प्राप्तियां–	
	(एक) एक लाख रु0 से पांच लाख	1 प्रतिशत
	(दो) पांच लाख एक रु0 से दस लाख	5 प्रतिशत
	(तीन) दस लाख एक रु0 से बीस लाख	10 प्रतिशत
	(चार) बीस लाख एक रु0 से चालीस लाख	15 प्रतिशत
	(पांच) चालीस लाख एक रु0 से साठ लाख	20 प्रतिशत
	(छः) साठ लाख एक रु0 से एक करोड़	25 प्रतिशत
	(सात) एक करोड़ से उपर हैं।	30 प्रतिशत

2– म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अनुसूची एक में वर्णित मद में प्राप्त राशि का 85 प्रतिशत किसान सड़क निधि एवं 15 प्रतिशत, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि में, उस रीति से जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय–समय पर घोषित करें, जमा किया जाएगा।

3– यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,
2.4.2003
(एस0एन0 शर्मा)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, कृषि विभाग

Scanned with OKEN Scanner